<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 06/2020 (राजस्व अपील)
GCMS No. 2020/00012

अनवान

1. श्री शंकरलाल पिता श्री वीरजी मीणा, निवासी हाथिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमान उपतहसीलदार नयागांव, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री सुनिल सोमानी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>
<u>अपील विरूद्ध न्यायालय उप तहसीलदार नयागांव, प्र.स. 8/2020 दिनांक 10.09.2020</u>

* <u>निर्णय</u> *

दिनांक— 18-01-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार नयागांव, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 10.09.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हाथिया, तहसील खेरवाड़ा की आराजी संख्या 64, 65, 66 एवं 67 अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि होकर उक्त भूमि पर अपीलान्ट का वर्षो पुराना मकान बना हुआ है एवं उसके द्वारा विद्युत विभाग से कनेक्शन भी प्राप्त किया हुआ है, जिसका प्रमाण तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 112/2017 मे अपीलान्ट की पत्नी के नाम दिनांक 27.02.2017 को प्रेषित भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 का नोटिस है, जिसमे अपीलान्ट की पत्नी द्वारा हासल/लगान की मूल रसीदें प्रस्तुत करने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई। उप तहसीलदार नयागांव द्वारा पुनः दिनांक 31.07.2020 को धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 08/2020 दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस भिजवाये गये, जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 13.08.2020 को न्यायालय उपतहसीलदार नयागांव के समक्ष उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा। इसी प्रकार दिनांक 18.08.2020, 04.09.2020 को अवसर प्रदान कर तारीख पेशी दिनाक 10.09.2020 नियत की गई। अपीलान्ट के दि[illegible]9.2020 को अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होने पर उपतहसीलदार एवं पटवारी के राजकीय दौरे पर होने के आशय से आगामी पेशी दिनांक 15.09.2020 दी गई, किन्तु दिनांक 15.09.2020 को अधिनस्थ न्यायालय मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.22 16:35:57 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित होने पर उनके द्वारा दिनांक 10.09.2020 को ही एकपक्षीय निर्णय पारित करने की जानकारी प्राप्त हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा झूठी शिकायत के आधार पर उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट की कब्जे काश्त मे चली आ रही भूमि बाबत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर खेरवाड़ा के यहां नाथूलाल पिता रूपसिंह मीणा द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके प्रकरण संख्या 47/2015 होकर विचाराधीन है। अपीलान्ट के पास वर्णित कब्जे काश्त की भूमि के अतिरिक्त जीवनयापन करने एवं रहने के लिए कोई भूमि नही है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार नयागांव द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2020 को अपास्त करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कल्पित जैन द्वारा उपस्थिति दी गई एवं पृथक से जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। अधिनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। उपतहसीलदार नयागांव से मूल पत्रावली संख्या 08/2020 प्राप्त होने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उप तहसीलदार नयागांव, तहसील खेरवाड़ा द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुये मौजा हाथिया, तहसील खेरवाड़ा मे स्थित आराजी संख्या 64, 65, 66 एवं 67 पुश्तैनी होना, अपीलान्ट के कब्जे काश्त की होना, मौके पर आवासीय मकान बना होना, विद्युत कनेक्शन होना, पूर्व मे प्रकरण ड्रॉप होना, पूर्व की तिथि मे एकपक्षीय निर्णय पारित होना, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा मे प्रकरण संख्या 47/2015 विचाराधीन होना अवगत कराया एवं अनुरोध किया कि मौका पर्चा पर अपीलान्ट की पुत्रवधु के हस्ताक्षर नही है एवं एक ही भूमि पर एक ही परिवार के लोगो के विरूद्ध अलग अलग नामो से की गई कार्यवाही राजनैतिक है तथा उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा मे लम्बित वाद मे स्थगन आदेश जारी है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर 40 वर्षो से अधिक समय से कब्जा है। इस प्रकार अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने की मांग की।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुये अनुरोध किया कि मौजा हाथिया, तहसील खेरवाड़ा की आराजी संख्या 64, 65, 66 एवं 67 रकबा क्रमशः 0.02 हे., 0.02 हे., 0.01 हे., 0.03 हे. कुल किता 4 रकबा 0.08 हेक्टेयर बिलानाम भूमि किस्म मगरी पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार सुनवाई की जाकर अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने का आदेश दिया गया हैं, जो नियमानुसार है। मात्र कब्जे के आधार अपीलान्ट का राजकीय भूमि पर स्वामित्व नही माना जा सकता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मे विचाराधीन वाद की प्रति अपीलान्ट द्वारा प्रकरण मे पेश नही की है एवं न ही अपील मे इस बाबत कोई तथ्य अंकित किये है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमे वर्णित तथ्यों आदि का अवलोकन किया एवं उन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.22 16:35:57 IST
Reason: SelfAttested

गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रकरण राजस्व ग्राम हाथिया, तहसील खेरवाड़ा मे स्थित आराजी संख्या 64 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 65 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 66 रकबा 0.01 हेक्टेयर एवं 67 रकबा 0.03 हेक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.08 हेक्टेयर राजकीय भूमि किस्म मगरी पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने से संबधित है, जिसमे अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार नयागांव द्वारा अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किये है। मामले मे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सकलाल, पंचायत समिति नयागांव के संरपच द्वारा उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा को प्रेषित अतिक्रमण करने की शिकायत के आधार पर तहसीलदार द्वारा पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक से करायी जांच उपरान्त धारा 91 का प्रकरण संख्या 08/2020 दिंनाक 31.07.2020 को दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये है एवं सुनवाई हेतु समुचित अवसर देने के उपरान्त दिनांक 10.09.2020 को विधिनुरूप निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा मामले मे उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा मे प्रकरण लम्बित होना अवगत कराया है, किन्तु इसकी पुष्टि स्वरूप किसी दस्तावेज की प्रति अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नही की है। ऐसी स्थिति अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे कोई त्रुटि प्रथम दृष्टया परिलक्षित नही होने से उनके द्वारा पारित निर्णय यथावत रखे जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अतंर्गत धारा 75, भू राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार नयागांव, तहसील खेरवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 08/2020 मे पारित निर्णय दिंनाक 10.09.2020 यथावत रखा जाता है एवं निर्देश प्रदान किये जाते है कि भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.22 15:35:57 IST
Reason: SelfAttested